"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर 2011—भाद्र 22, शक 1933

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 सितम्बर 2011

आदेश

क्रमांक/6410/2195/21-ब/छ.ग./2011.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का 66) की धारा 6 एवं छत्तीसगढ़ कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (2) में दर्शित कुटुम्ब न्यायालय हेतु, तालिका के स्तम्भ (3) में वर्णित व्यक्तियों को, अग्रिम आदेश तक के लिये, परामर्शदाता नियुक्त करता है :—

क्रमांक (1)	कुटुम्ब न्यायालय का नाम (2)	व्यक्ति का नाम (3)
1.	सरगुजा (अम्बिकापुर)	(1) श्री ओम प्रकाश सिंह (2) कुमारी आशा जायसवाल (3) श्री सतीश चन्द्र मिश्रा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्तराय, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.